# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः–  अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 11/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/16

| प्रार्थीगण | विप्रार्थीगण |
|---|---|
| 1.बसन्तलाल पुत्र वगताजी | 1.वाबुसिंह पुत्र नारायणसिंह |
| 2.पूंजराज पुत्र वगताजी | 2.गोविन्दसिंह पुत्र लिखमाराम |
| 3.कल्याणसिंह पुत्र केरजी उर्फ केरसिंह | जाति पुरोहित |
| 4.छगनलाल पुत्र केरजी उर्फ केरसिंह | 3.अणछी पत्नि राजूराम |
| 5.पदमाराम पुत्र जवाहरजी | 4.अर्जुनराम पुत्र कालूराम के कायम मुकाम |
| 6.सायरोदेवी पत्नी केरजी उर्फ केरसिंह | 4/1.लक्ष्मण पुत्र अर्जुनराम |
| 7.ओमप्रकाश पुत्र सांवलसिंह | 4/2.ललीत पुत्र अर्जुनराम नावालिग जरीए |
| 8.कन्हैयालाल पुत्र सांवलसिंह | कुदरती वली माता हविया देवी पत्नी अर्जुनराम |
| 9.पीरसिंह पुत्र सांवलसिंह | 4/3.महेन्द्र पुत्र अर्जुनराम नावालिग जरीए |
| 10.बाबुसिंह पुत्र सांवलसिंह | कुदरती वली माता हविया देवी पत्नी अर्जुनराम |
| 11.मथरादेवी पत्नी सांवलसिंह | 4/4.हविया पत्नि अर्जुनराम |
| जाति राजपुरोहित | 5.कवंराराम पुत्र अर्जुनराम |
| निवासी मनणावास आसोतरा रोड़, | 6.कौलाराम पुत्र अर्जुनराम |
| मांझीवाला तहसील पचपदरा | 7.खीमाराम पुत्र अर्जुनराम |
| जिला बालोतरा | 8.टीकमाराम पुत्र अर्जुनराम |
| | 9.पुखराज पुत्र अर्जुनराम |
| | 10.पेमाराम पुत्र अर्जुनराम |
| | जाति नाई निवासी बालोतरा |
| | 11.ममता देवी पत्नि महेन्द्रकुमार जाति माली |
| | 12.मोहनलाल पुत्र पूरणचंद जाति ब्राहमण |
| | 13.राजेश कुमार पुत्र नोहरचंद जाति ब्राहमण |
| | 14.हुकमादेवी पत्नि मनोहरलाल जाति ब्राहमण |
| | 15.नरेन्द्रपाल पुत्र मोहनलाल जाति सारस्वत |
| | 16.मंजु पत्नि पुखराज जाति माली |
| | 17.रूपेन्द्ररानी पत्नि राजेश कुमार जाति सारस्वत |
| | 18.राजेन्द्रपाल पुत्र नरेन्द्रपाल जाति सारस्वत |
| | 19.राजेश कुमार पुत्र नोहरचंद जाति सारस्वत |
| | 20.हुकमादेवी पत्नि मनोहरलाल |
| | जाति सारस्वत निवासी बालोतरा |

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

| | |
|---|---|
| | 21.कमलेश कुमार पुत्र रणछोड़राम<br>22.गोविन्दराम पुत्र उकाराम<br>23.बाबूलाल पुत्र उकाराम<br>24.मेती देवी पत्नी रणछोड़राम<br>25.सतीष कुमार पुत्र रणछोड़राम<br>26.कमलादेवी पत्नी उदाराम<br>27.गोविन्द पुत्र उदाराम<br>28.गौतम पुत्र उदाराम<br>29.महेन्द्र पुत्र उदाराम<br>30.माणकचंद पुत्र उदाराम<br>31.सुरेश पुत्र उदाराम<br>32.सुशीला पुत्री उदाराम<br>33.सांवलाराम पुत्र गुमनाराम<br>जाति माली निवासी माली समाज भवन के पीछे,गुमनाजी की वाड़ी बालोतरा<br>34.शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा आसोतरा<br>35.ओरियन्अल बैंक ऑफ कार्मस शाखा खेड. रोड बालोतरा<br>36.आयुक्त/सभापति नगर परिषद बालोतरा<br>37.राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार पचपदरा |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थिति–**

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 03

3.विप्रार्थी संख्या 1 से 2 व 4 से 37 एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

## आदेश

दिनांक 17/06/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बालोतरा नपाक्षै तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1772/1110 क्षेत्रफल 7.1326 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1775/1107 क्षेत्रफल 0.1265 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1773/1110 क्षेत्रफल 6.5888 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बालोतरा नपाक्षै तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1772/1110 क्षेत्रफल 7.1326 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1775/1107 क्षेत्रफल 0.1265 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1773/1110 क्षेत्रफल 6.5888 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

**2.**प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री वीराराम प्रजापत द्वारा विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश किया गया। शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

**3.**हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 03 अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बालोतरा नपाक्षै तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1772/1110 क्षेत्रफल 7.1326 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1775/1107 क्षेत्रफल 0.1265 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1773/1110 क्षेत्रफल 6.5888 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बालोतरा नपाक्षै तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1772/1110 क्षेत्रफल 7.1326 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1775/1107 क्षेत्रफल 0.1265 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1773/1110 क्षेत्रफल 6.5888 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

**4.**विप्रार्थी संख्या 03 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपति नही है।

**5.**हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बालोतरा नपाक्षै तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1772/1110 क्षेत्रफल 7.1326 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1775/1107 क्षेत्रफल 0.1265 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1773/1110 क्षेत्रफल 6.5888 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

मे दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्राथीगण प्रथम द्वष्यता हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 29.11.2024 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

**6.**उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

**—:आदेश:—**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बालोतरा नपाक्षे तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1772/1110 क्षेत्रफल 7.1326 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1775/1107 क्षेत्रफल 0.1265 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1773/1110 क्षेत्रफल 6.5888 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।

17/06/2025

(अशोक कुमार)
**उपखण्ड अधिकारी**
**बालोतरा**

आदेश आज दिनांक 17/06/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

17/06/2025

**उपखण्ड अधिकारी**
**(S.D.O.) बालोतरा**

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा